देश में आरक्षण नीति कैसी हो कि सब एकजुट हो जाएं ?

जब हम निम्न आरक्षण नीति को लागू करें:-

एकजुट आरक्षण नीति

(एकजुटता का अचूक सूत्र)

1. आरक्षण नीति चार वर्गों में हो अति दलित, दलित, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग ।
2. अति दलित वर्ग के सदस्य को तभी अति दलित का आरक्षण मिले जब वह अति दलित में ही अंतर्जातीय विवाह करें । इसी तरह दलित , अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के सदस्य को आरक्षण मिले ।
3. आरक्षण का प्रतिशत अधिक से अधिक हो और हर क्षेत्र में हो । आरक्षण का लाभ अति दलित को सबसे अधिक, उससे कम दलित को, उससे कम अति पिछड़े वर्ग को और उससे कम पिछड़े वर्ग को मिले । आरक्षण का लाभ इसी क्रम में मिले ।
4. यदि क्षेत्र भेद को त्याग कर अति दलित, अति दलित में ही अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे अति दलित का कुछ ज्यादा लाभ मिले । इसी तरह और आरक्षित वर्ग में भी लागू हो ।
5. आरक्षण स्वयं व संतान तक सीमित रहें । संतान अंतर्जातीय विवाह करे तो उनके बच्चों को उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ मिले ।
6. मां की जाति, पिता की जाति, दादी की जाति और नानी की जाति इन चार जातियों को छोड़कर विवाह होना चाहिए ।
7. सामान्य वर्ग का व्यक्ति जिस वर्ग का आरक्षण लेना चाहता है उस वर्ग में विवाह करें ।
8. अति दलित का सदस्य अगर दलित, पिछड़ा या सामान्य वर्ग में विवाह करता है तो उसका वह आरक्षण रहेगा और इसी तरह अन्य वर्गों में भी हो ।
9. अचल संपत्ति केवल महिलाओं के नाम हो या महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री (बैनामा) फ्री हो और बैंक से जल्दी ब्याज रहित ऋण की सुविधा हो । जिससे महिला और पुरुष सुरक्षा मजबूत होगी ।

यदि आप अपने देश हिन्दुस्तान को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो देश में एक ऐसी आरक्षण नीति लागू हो जो देशवासियों को एकजुट कर सके ।

श्री परमधाम, मेरठ

आरक्षण की आवश्यकता क्यों ?

वर्तमान में देश में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसका केवल एक ही कारण है और वह है अवसर कम है और लेने वाले बहुत अधिक। अगर इसका उल्टा हो जाए कि अवसर बहुत अधिक हो और लेने वाले कम तो क्या आप समझते हैं कोई आरक्षण की मांग करेगा?

निश्चित ही नहीं!

जिस दिन भी **हमारा देश हिन्दुस्तान स्वर्ग कैसे बनेगा** के प्रावधान लागू हो गए तो स्वयं ही यह स्थिति अगले 1 से 2 वर्षों के भीतर - भीतर अपने आप परिवर्तित हो जाएगी और कोई भी आरक्षण की मांग नहीं करेगा।

आओ मिलकर इस स्थिति को बनाएं।

अगर आरक्षण की आवश्यकता है जिससे महिलाओं और पुरुषों की सुरक्षा में बढ़ोतरी हो सके तो निम्न आरक्षण के प्रावधान लागू हो:-

अचल संपत्ति का पंजीकरण केवल महिलाओं के नाम में हो।

अचल संपत्ति का पंजीकरण केवल महिलाओं के नाम होने से पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा में भारी बढ़ोतरी होगी। एक पुरुष परिवार के सदस्यों में भेदभाव कर सकता है लेकिन एक महिला ऐसा बहुत ही कम करती है, क्योंकि वह मां है, जो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती । इस प्रावधान के लागू होने पर समाजिक बुराइयां, भ्रूण हत्या, दहेज में भारी कमी आएगी । इससे समाज में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और प्रत्येक माता-पिता यह चाहेगा कि उनके यहां केवल कन्या / लड़की ही पैदा हो।

वर्तमान में मुस्लिम महिलाएं, तलाक - तलाक - तलाक के कारण बहुत दुविधा और परेशानी में रहती है। तलाक - तलाक - तलाक तीन बार कहने से तलाक हो जाता है । इस प्रावधान के लागू होने से कि अचल संपत्ति का पंजीकरण केवल महिलाओं के नाम में हो , इससे महिलाओं की सुरक्षा में भारी बढ़ोतरी होगी और मुसलमानों में तलाक व बहु-विवाह में बहुत कमी आएगी।

अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हिन्दुस्तान स्वर्ग बने तो उसके लिए अनिवार्य है कि समाज में महिलाओं का सम्मान बढे और उसके लिए अचल संपत्ति का पंजीकरण केवल महिलाओं के नाम में हो।

श्री परमधाम, मेरठ